13-10-26 VNS PG-1 FRONT PAGE-DAK.qxd 12-10-2026 22:36 Page 1



भाज

रणजी ट्राफीके साथ मत करो खिलवाड़

जीवन का संदेश



नवदुर्गाके नौ स्वरूपों में छिपा

प्रयागराज, मंगलवार १३ अक्तूबर, २०२६ सौर २७, आश्विन शुक्ल ३, २०८३ वि.। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज (रीवा संस्करण), कानपुर (झांसी संस्करण), लखनऊ, आगरा, बरेली, हल्द्वानी,पटना (कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | * मध्य प्रदेश संस्करण पृष्ठ १२, मूल्य ३.०० रुपये

ज्ञानेश कुमारको बचा रही मोदी सरकार-राहुल



चुनावमें धांधली के सबूत मांगने पर ठप कर दी गयी राजधानी

नयी दिल्ली (आससे.)।। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में कथित धांधली, 'वोट चोरी' और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला जारी रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश की राजधानी दिल्ली को किले में क्यों तब्दील कर दिया गया है और लोगों को यहां पहुंचने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने कथित कृत्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने लोकतंत्र तथा चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। उनके मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। राहुल ने बताया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेता आज ही सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की। राहुल ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, कानूनी और जनमत के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष
गठबंधनके ११ नेताओंने दाखिल की याचिका

राहुल-अखिलेश और तेजस्वी सहित दस दलोंके नेता याचिकाकर्ता, बाराखंबासे शीर्ष अदालत तक निकाला मार्च



विपक्षी नेताओंने सुप्रीम कोर्ट तक निकाला मार्च

नयी दिल्ली (आससे.)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत 10 विपक्षी दलों के 11 नेताओं ने याचिका दाखिल की। इसमें निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका से पहले विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी मार्च में भाग लिया। नेता बसों, खुली गाड़ियों और पैदल मार्च करते हुए शीर्ष अदालत की ओर बढ़े। सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई थी। इससे पहले राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में विपक्ष के मार्च को शिवजी की बारात की संज्ञा देते हुए कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और प्रदर्शन स्थल बदलने से कथित गड़बड़ियां नहीं छिपाई जा सकतीं। उन्होंने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। दरअसल, विपक्षी सांसदों ने रविवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखकर मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मिलने से इनकार करते हुए उन्हें याचिका दाखिल करने का रास्ता सुझाया था। इसके बाद विपक्ष ने अदालत में याचिका दाखिल की। विपक्ष के इस कदम पर भाजपा ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को आरोप नहीं, सबूत चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर चुनावी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

अब जंतर-मंतरपर प्रदर्शनका रास्ता बंद, तीन नये ठिकाने तय



नयी दिल्ली (आससे.)। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। अब प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबी मैदान को चिह्नित किया गया है। इन स्थलों के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी। नया आदेश 28 अप्रैल 2022 के पुराने आदेश में आंशिक बदलाव है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा और यातायात संबंधी सख्ती की गई थी। इसी बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विपक्ष के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में करीब 30 स्थानों पर यातायात प्रतिबंधों और मार्ग परिवर्तन की चेतावनी दी है। धौला कुआं, पटेल चौक, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, जंतर-मंतर रोड, संसद मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित हो सकते हैं।

सीजेआईके इस्तीफे की मांग पर बार एसोसिएशन ने जतायी आपत्ति

नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग करने वाले सोशल मीडिया बयानों की निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की संस्था को कमतर दिखाती हैं और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप की कोशिश के समान हैं। 12 अक्तूबर 2026 को जारी प्रस्ताव में एससीबीए ने कहा कि हर व्यक्ति को कानून के अनुसार अदालतों का रुख करने और उचित राहत मांगने का अवसर मिलता है।

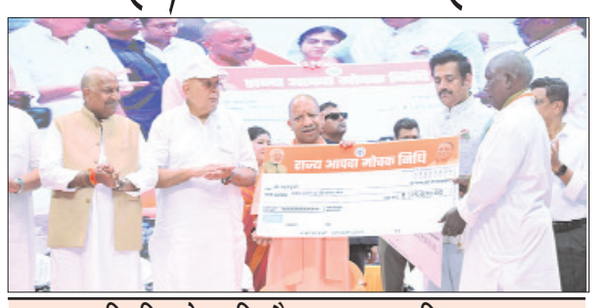
लैंडमाइन धमाके में लश्करके टाप कमांडर सहित चार आतंकी ढेर



एलओसीके पास घुसपैठ की कोशिश

जम्मू (आससे.)। पुंछ जिले में लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते समय एक लैंडमाइन धमाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक टाप कमांडर समेत कम से कम चार आतंकवादी मारे गए।सरकारी सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों का यह ग्रुप आज देर दोपहर कृष्णा घाटी (केजी) सेक्टर के नंगी टेकरी इलाके में इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी वे एक माइनफील्ड (बारूदी सुरंग वाले इलाके) की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि जबरदस्त धमाके में चारों आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। मारे गए लोगों की पहचान मंडला, मदारपुर, तहसील हजीरा, जिला पुंछ (पाक कब्जे वाले कश्मीर) के रहने वालों के तौर पर हुई है। इनकी पहचान मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फ़ैज़ान (लश्कर के टाप कमांडर), मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में की गई है।यह बताना जरूरी है कि घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए एलओसी के पास के अग्रिम इलाकों में घुसपैठ-रोधी ग्रिड के तहत भारी मात्रा में बारूदी सुरंगें (माइन्स) बिछाई गई हैं। इस वजह से, घुसपैठ करने वाले ग्रुप अक्सर इन बारूदी सुरंगों वाले इलाकों को पार करते समय हताहत होते हैं। फिलहाल इस घटना की भारतीय सेना ने पुष्टि नहीं की है पर उस पार के मीडिया में यह खबरें आ रही हैं।

अब किसानोंको बिल नहीं, बिजली आती है-योगी



बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात प्रभावित ९.१८ लाख किसानों के खातोंमें भेजी ४९३ करोड़ की सहायता राशि

गोरखपुर (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है। डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 से 10 दिन के अंदर अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने 2017 के पहले की सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तब बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल आता था। अब स्थिति बदल गई है। अब अन्नदाता किसान का बिल नहीं आता, बल्कि बिजली आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 9,18,091 कृषकों के खातों में 493 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस वर्ष केवल बरसात के दौरान ही अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता में शामिल नहीं है, **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

बदायूं : स्कूल वैन ने बाइक को मारी टक्कर, तीन भाइयों की मौत

बदायूं (एजेंसी)। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्कूल वैन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों चचेरे-तहेरे भाई थे। उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह हादसा सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे मदनजुड़ी गांव के पास हुआ। इस हादसे में हत्सा गांव निवासी निखिल उर्फ नितिन 19 रोहन 20 और ऋषभ 18 की जान चली गई। ये तीनों चचेरे-तहेरे भाई थे। गंभीर रूप से घायल शिवा 18 वर्ष को जिला अस्पताल भेजा गया है। शिवा का हाल ही में अग्निवीर में चयन हुआ था। चारों दोस्त शिवा को दवा दिलाने के लिए बिसौली कस्बा जा रहे थे। वे सभी एक ही बाइक पर सवार थे। बाइक रोहन चला रहा था, जिसने करीब दो महीने पहले ही एक नई बाइक खरीदी **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

राजस्थानमें पूर्व भाजपा विधायक की हत्या



दस हिरासतमें, ३१ नामजद

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के भरतपुर जिले के भोंडा गांव में पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एफआईआर में 31 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस की दबिश के बीच कई ग्रामीणों के गांव छोड़कर जाने की भी सूचना है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के बाद गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की रविवार देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। भोंडा गांव स्थित खनन स्थल पर कथित तौर पर ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था। घायल अवस्था में उन्हें पहले वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया।

एफआईआर होगी दर्ज पर कारवाई पर रहेगी रोक, पंजाब सरकार को सुप्रीम राहत

नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि सीबीआई पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। सीबीआई राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। यह आदेश पंजाब सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने केंद्र, सीबीआई, ईडी और अन्य को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा, हम एफआईआर पर रोक नहीं लगा रहे हैं। **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

हर वकीलको शांतिपूर्ण प्रदर्शनका अधिकार- सीजेआई सूर्यकांत



नयी दिल्ली (आससे.)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि प्रत्येक वकील को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान वकीलों को हिरासत में लेने और पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।शंकरनारायणन ने पुलिस को संयम बरतने का निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि वरिष्ठ वकीलों को सड़कों पर घसीटा गया और अधिवक्ता फरासत के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि कुछ निजी तत्व प्रदर्शनकारियों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन से संबंधित अन्य मामले के साथ मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

कोर्ट के आदेश पर केनरा बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर

१.८० लाखकी एफडी हड़पनेका आरोप

अलीगढ़ (एजेंसी)। अदालत के आदेश पर सिविल लाइंस थाने में केनरा बैंक की जिला पंचायत शाखा के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर सड़क हादसे में मृत युवक के मुआवजे की 1.80 लाख रुपये से अधिक की एफडी का भुगतान मिलीभगत कर निकालने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।गोंडा क्षेत्र के ढाटौली गांव निवासी किरनपाल सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके भाई विनय कुमार की 16 नवंबर 2008 को मथुरा के राया में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके माता-पिता सावित्री देवी और गजपति सिंह ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।

फार्म-६ पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण न मंजूरी दी न खारिज किया

नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में स्पष्ट किया है कि उसने नए फॉर्म-6 को न तो मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान नया फॉर्म-6 अदालत के सामने आया ही नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने की बात कही है, जबकि अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि उसने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि खबर बनाने के लिए अदालत की टिप्पणियों को चुन-चुनकर पेश न करें।

मेरठ : ट्रकने बाइक सवार मां-बच्चेको कुचला, मौत

मेरठ (आससे.)। मेरठ के लावड़ में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और उसके आठ दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। हादसा सब्जी मंडी स्थित काली माता मंदिर के सामने हुआ। महिला अपने पति के साथ बच्चे को पीलिया की दवा दिलाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इस दौरान एंबुलेंस में तोड़फोड़ की भी सूचना है।जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर आठ दिन के नवजात को पीलिया की दवा दिलाने गई थी।



यूपी बोर्ड : हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं पांच फरवरी से

लखनऊ (आससे.)। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होगी। भगवती सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होगी। बीस कार्य दिवस में आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है । जारी कार्यक्रम के तहत 5 फरवरी को इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल में हिंदी विषय की परीक्षा होगी ।6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में शिल्प कला की परीक्षा होगी। 9 फरवरी को हाई स्कूल की मानव विज्ञान तथा इंटरमीडिएट में नागरिक शास्त्र विषय की परीक्षा होगी । 10 फरवरी को हाई स्कूल में अंग्रेजी तथा इंटरमीडिएट में परिधान सजा धुलाई रंगाई, टेक्सटाइल मधुमक्खी पालन की परीक्षा होगी ।12 फरवरी को हाई स्कूल में गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। 13 फरवरी को हाई स्कूल गणित तथा इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान तथा गणित अर्थशास्त्रविषय की परीक्षा होगी। 15 फरवरी को **(शेष पृष्ठ ११ पर)**

बोर्डने जारी किया परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम

वैष्णो देवीमें डेढ़ किमी लंबी कतारें, चार लाख श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने की चुनौती



दर्शनका इंतजार, मौसम-वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता पर उठ रहे सवाल

जम्मू (आससे.)। शरदीय नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ी भारी भीड़ ने यात्रा व्यवस्था की परीक्षा शुरू कर दी है। पहले ही दिन भवन परिसर में दर्शनों के लिए करीब डेढ़ किमीर तक कतारें लगीं। खराब मौसम के कारण हेलीकाप्टर सेवा भी प्रभावित रही। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाए रखना श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्तूबर को नवरात्र के पहले दिन 47,346 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। श्राइन बोर्ड ने पूरे नवरात्र के दौरान लगभग चार लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया है। नवरात्र 11 से 20 अक्तूबर तक चलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बीच कतारों का नियमन, यात्रा मार्ग पर आवाजाही, पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थलों और चिकित्सा सहायता की उपलब्धता पर लगातार निगरानी जरूरी है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं की प्रमुख परेशानी दर्शनों के लिए लंबा इंतजार और भीड़ के बीच आगे बढ़ने में लगने वाला समय है। भवन परिसर में लगातार उद्घोषणाओं के जरिये दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं से कटड़ा की ओर लौटने की अपील की जा रही है, ताकि पीछे इंतजार कर रहे लोगों को जगह मिल सके। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में व्यापक अव्यवस्था या श्रद्धालुओं की शिकायतों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसलिए असुविधाओं को लेकर सभी श्रद्धालुओं की एक जैसी राय मानना उचित नहीं होगा। यह सच है कि मौसम की मार ने भी व्यवस्था की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कल हेलीकाप्टर सेवा बंद रहने से इस सुविधा पर निर्भर यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े थे।